



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940

No. 438]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2019

का.आ. 551(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार, 01.04.2011 के प्रभाव से का.आ. 200 के द्वारा दिनांक 02.02.2008 को भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 01.02.2008 की अधिसूचना संख्या 15/2008 को एतद्वारा निरस्त करती है और 01.04.2011 से यह समझा जाएगा कि उक्त अधिसूचना आयकर अधिनियम, 1961 या उस समय प्रवृत्त अन्य विधि के तहत किसी कर लाभों के लिए जारी नहीं की गई थी।

[अधिसूचना सं. 03/2019/फा. सं. 203/30/2007-आ.क.नि.-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2019

S.O. 551(E).—In exercise of powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue number 15/2008 dated 01.02.2008 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated of 02.02.2008 *vide* S.O. 200 with effect from 01.04.2011 and it shall be deemed from 01.04.2011 that the said notification had not been issued for any tax benefit under the Income-tax Act, 1961 or any other law for the time being in force.

[Notification No. 03/2019/F. No. 203/30/2007/ITA-II]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.